मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन- मंत्रालय- भोपाल

क्रमांक: एफ-5/1/2009/नियम/चार भोपाल दिनांक 6 अप्रैल,009

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कमिश्नर,
समस्त कलेक्टर,
मध्य प्रदेश ।

विषय :- रिटायरमेंट के दो वर्ष पूर्व ही अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका एवं जी.पी.एफ. बुक का सत्यापन करने बाबत् ।

राज्य के अधिकारियों/कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय देय स्वत्वों के भुगतान शीघ्रता से हो सके इसलिए राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि सेवानिवृत्ति के दो वर्ष पूर्व जी.पी.एफ. पासबुक का सत्यापन महालेखाकार, ग्वालियर से तथा सेवापुस्तिका का सत्यापन संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन से अनिवार्य रूप से कराया जाये । इसे सुनिश्चित कराने के लिए कृपया आप अपने अधीनस्थ, आहरण व संवितरण अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें ।

2. कृपया उक्त निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित कराया जावे ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(प्रभाकर बंसोड़)
पदेन सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग